Global Journal of Emerging Trend in Education and Social Science
Vol. 2, Issue 1 - 2019

भारत की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था

नीतु बिश्वास*

प्रस्तावना

देश को आजादी प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। हमें उसकी स्वतन्त्रता बनाए रखने के लिए सतत् जागरूकता की आवश्यकता होती है।

देश की सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए हमें अपने साधनों से सुरक्षा व्यवस्था को गठित करना पड़ता है। ताकि हम किसी संकट का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहे। जो देश अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ नहीं होते उनकी आजादी अधिक दिनों तक टिक नहीं सकती। अतः हर स्वतन्त्र देश के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भली–भांति कायम रखना अनिवार्य है।

भारत को सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता

भारत की स्वतन्त्रता के समय प्रारम्भ से ही पड़ोसी राष्ट्र भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता रहा है। भारत को 1962 में चीन के हमले तथा 1965 व 1971 में पाकिस्तानी हमलों का मुकाबला करना पड़ा है। हमारी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के कारण ही हम अपने देश को बचा पाए है।

आज पाकिस्तान नए–नए किस्म के परमाणु हथियारों को जमा कर रहा है। भारत को कभी भी पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ सकता है।

सैनिक शक्ति के गठन

सुरक्षा व्यवस्था में सशक्त तथा प्रशिक्षित सैनिकों का बड़ा महत्व है। हमें अपना सैन्य बल बढ़ाना चाहिए। हालांकि भारत एक विकासशील देश है और हमारे साधन सीमित है। लेकिन देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है।

अतः हमें अपने सीमित साधनों को चाहे विकासकार्यों से हटाकर सेना पर व्यय करना पड़े। तो भी इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जब आजादी ही नहीं रहेगी तो विकास का क्या होगा?

सैनिकों को उचित प्रशिक्षण

हमें सैनिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्हें आधुनिक युद्ध की कलाओं का निरन्तर अभ्यास कराते रहना चाहिए ताकि संकट के समय हम उन्हें सीधे युद्ध क्षेत्र में भेज सके।

*स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान, माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर।
LukrdksÙkj jktuhfr foKku] ekf.kD;yky oekZ Jethoh egkfo|ky;] mn;iqjA

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved.

आधुनिक अस्त्र–शस्त्रों का निर्माण

आज के वैज्ञानिक युग में केवल सैन्य शक्ति के बल पर ही युद्ध नहीं लड़े जाते नए–नए अस्त्र–शस्त्र और सैनिक साज–सज्जा की आवश्यकता भी पड़ती है। हमें इस दृष्टि से आत्मनिर्भर होने की बड़ी जरूरत है। ताकि युद्ध के दौरान अस्त्रों के लिए हमें विदेशों की ओर न देखना पड़े।

विदेशों से हथियारों के बदले हमें मुंहमांगी कीमत देनी पड़ती है और उसका अहसान भी मानना पड़ता है। जो कभी बहुत महंगा पड़ सकता है। अपने ही देश के अस्त्रों को चलाने में सैनिक अभ्यास द्वारा कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। जबकि विदेशी अस्त्रों के संचालन को सीखने में काफी समय लग सकता है जो संकट के समय बड़ा महंगा पड़ेगा।

सरकार के प्रयास

- हाल ही नक्सल समस्या से निपटने के लिए आठ सूत्रीय 'समाधान' नामक एक कार्ययोजना को अमल में लाया जा रहा है।
- इस कार्ययोजना के आठ बिन्दुओं का अर्थः कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण, कारगर खुफिया तन्त्र, कार्ययोजना के मानक, कारगर प्रौद्योगिकी, प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना और नक्सलियों के वित्तपोषण को विफल करने की रणनीति।
- इस कार्य–योजना में जिन–जिन बातों का उल्लेख है उन पर अमल किए जाने की जरूरत है। लेकिन समस्या यह है कि प्रत्येक राज्य के अपने–अपने प्रावधान है, ऐसे में कैसे इन सब बिन्दुओं का पालन करने हेतु राज्यों के मध्य सामंजस्य बैठाया जाए।

भारत के आन्तरिक सुरक्षा संगठन

1. **सीमा सुरक्षा बल (BSF)**:– BSF सामान्य काल में देश की सीमाओं की निगरानी करता है एवं साथ ही साथ राज्यों के सिविल प्रशासन की भी सहायता करता है।
2. **भारत–तिब्बत सीमापुलिस (ITBP)**:– 24 अक्टूबर 1962 को तिब्बत से लगी भारतीय सीमा की रक्षा के लिए ITBP की स्थापना हुई थी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
3. **असम राइफल्स**:–देश के इस प्रचीनतम केन्द्रीय अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 ई. में हुई। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग में है। पूर्वोत्तर सीमा की सुरक्षा असम राइफल्स के द्वारा की जाती है।
4. **केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)**:– CRPF को पहले क्राउन रिप्रजेंटेटिव पुलिस का जाता था। 1949 को इसका नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा गया। CRPF के अधिकारियों की ट्रेनिंग राजस्थान के माउंट आबू स्थित अकादमी में दी जाती है।
5. **भारतीय गृह रक्षा दल (Indian Home Guard)**:– भारत–चीन युद्ध के बाद 1962 में भारत गृहरक्षा दल का गठन किया गया। यह अर्द्धसैनिक बल है, जो भारतीय पुलिस बल के सहायक अंग के रूप में कार्य करता है।
6. **रैपिड एक्शन फोर्स (RAF)**:– CRPF की एक विशेष शाखा के रूप में इसकी स्थापना 11 दिसम्बर 1991 को हुई। इसे दंगा निरोधी बल के रूप में भी जाना जाता है। इस बल की तैनाती सम्प्रदायिक हिंसा की आशंका वाले क्षेत्रों में की जाती है।

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved.

7. **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)**:– NSG की स्थापना केन्द्रीय आपात ऑपरेशनल के रूप में 1984 में की गई। इस बल के दो घटक है, जिसमें सेना के जवान तथा केन्द्रीय पुलिस बल एवं राज्य पुलिस बल के कर्मचारी शामिल है। इसका गठन जर्मनी के जेडीजी–9 की तर्ज पर किया गया है।
8. **स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG)** :–इस बल की स्थापना 1985 ई. में की गई थी। यह एक प्रशासनिक सुरक्षा एजेंसी है जो प्रधानमंत्री एवं उच्च पदासीन अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। इस सुरक्षाबल के कार्यवाहक अधिकारी विभिन्न राज्यों/केन्द्र के IPS अधिकारी होते हैं।

आन्तरिक सुरक्षा प्रबन्ध की खामिया

1. ब्रिटेन और अमेरिका प्रत्येक वर्श अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार, अपने आन्तरिक सुरक्षा सिद्धान्त को संशोधित करते है और उन नीतियों पर एक सार्वजनिक चर्चा आयोजित की जाती है, लेकिन इस दृष्टि से भारत अपने महत्वपूर्ण साझेदारों की तरह अपनी सुरक्षा व्यवस्था में प्रतिवर्ष संशोधन नहीं करता। जब कि भारत में सुरक्षा सम्बन्धी सागरया बहुत जटिल है।
2. किसी भी समस्या के समाधान के लिए दीर्घ कालिक नीतियाँ बनानी होती है और दीर्घकालिक नीतियों के अन्दर ही वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम अल्पकाल के लिये कुछ नीतियां बनाते है। यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि न तो जम्मू–कश्मीर को लेकर हमारी कोई दीर्घ कालिक नीति है और न ही माओवादी विद्रोह से निपटने के लिए कोई रणनीतिक दृष्टि।
3. यह दावा किया जाता है कि माओवादी गतिविधियों में कमी आई है, लेकिन आए दिन कहीं न कहीं से नक्सली वारदातो के कारण जानमाल के नुकसान की खबर आ जाती है।
4. अधिकांश राज्यों में पुलिस अभी भी पुरातन व्यवस्था के अनुपालन को मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में पुलिस सुधारों को लागू किए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन इन निर्देशों का सभी राज्यों ने छद्म अनुपालन ही किया है।
5. न्यायिक निर्देशों के अनुपालन के लिए भारत सरकार ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई है। यहां तक कि दिल्ली पुलिस विधेयक को भी यह अंतिम रूप देने में विफल रहा है?
6. कभी–कभी तो लगता है कि हम विभिन्न राज्यों में अलग–अलग पुलिस प्रावधानों और कार्यकारी आदेशों के भंवर जाल में उलझे हुए हुए है। जबकि पुरे देश में एक ही पुलिस अधिनियम लागु होना चाहिए।
7. हमारे संविधान निर्माताओं ने पुलिस को राज्य सूची का विषय मानते हुए सातवीं अनुसूची में रखा था। शायद वे उस समय यह नहीं जान पाए कि आने वाले दशकों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना इतना मुश्किल हो जाएगा।
8. संगठित अपराध व आतंकवाद के खतरों के साथ ही यह स्पष्ट था कि पुरानी व्यवस्था को नया रूप दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पुलिस व्यवस्था को समवर्ती सूची में शामिल किए जाने को लेकर गंभीर प्रयास होने चाहिए।
9. राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र यानि एनसीटीसी भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक महत्वकांक्षी योजना है। इसको लागू किए जाने को लेकर विवाद इसलिए था कि कुछ राज्यों का मानना था कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। एन.सी.टी.सी. के

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved.

विवादित प्रावधानों में सुधार कर इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए पर ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है।

निष्कर्ष

- दरअसल वर्तमान में बाहरी व आन्तरिक सुरक्षा में भेद करना कठिन हो गया है। हमारी सुरक्षा को वास्तविक खतरा, गुप्त कार्यवाहियों, विद्रोही और आंतकवादी गतिविधियों से है। जम्मू व कश्मीर में लम्बे समय से जारी गतिरोध इसका ताजा उदाहरण है।
- आतंकवाद व माओवादी विद्रोह से निपटने के लिए राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में सुधार किए जाने चाहिए। देश के कुछ सर्वाधिक संवेदनशील भागों में आतंकवाद व माओवादी विद्रोह से निपटने के लिए स्थायी तन्त्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- प्रभावित क्षेत्रों में आम लोगों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के साथ ही शांति योजनाएँ अपनायी जानी चाहिए।
- कठिनाई से मिली आजादी की रक्षा के लिए हमें सदैव तैयार और सजग रहना चाहिए तभी हम इसे कायम रख सकेंगे।

सन्दर्भ सूची

1. Source Book–Internal Security Indian Express.
2. Ashok Kumar–IPS: Internal Security of India.
3. Challenges to Internal Security by Ashok Kumar & Vipul B.
4. Challenges of Internal Security of India by BSF Chief D.K. Pathak.
5. www.sarkaribook.com.
6. Anjum Mahedi: Internal Security of India.
7. आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियाँः लोहित मटानी–आई.पी.एस.
8. आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियाँः अशोक कुमार एवं विपूल बी.

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved.